रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-12122020-223668
CG-DL-E-12122020-223668

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 547] नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 11, 2020/अग्रहायण 20, 1942
No. 547] NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 11, 2020/AGRAHAYANA 20, 1942

भारतीय खाद्य निगम

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 दिसम्बर, 2020

सं .128

सं. ईपी-36(1)2020.—खाद्य निगम अधिनियम, 1964 (1964 का 37वां) की धारा 45 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा केंद्र सरकार की पूर्वानुमति से भारतीय खाद्य निगम (कर्मचारीवृंद) विनियम, 1971 में संशोधन करने के लिए भारतीय खाद्य निगम एतदद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, यथा :-

1. **संक्षिप्त शीर्षक तथा आरंभ:**

(i) ये विनियम, भारतीय खाद्य निगम (कर्मचारीवृंद) (पांचवा संशोधन) विनियम, 2020 कहलाएंगे।

(ii) ये सरकारी गजट में अधिसूचना की तारीख से लागू होंगे।

2. परिभाषा: इन विनियमों में शब्दों की परिभाषा और उनका अर्थ तथा पदों के पदनाम का अर्थ वही होगा जैसाकि खाद्य निगम अधिनियम, 1964 तथा भारतीय खाद्य निगम (कर्मचारीवृंद) विनियम, 1971 में दिया गया है।

3. भारतीय खाद्य निगम (कर्मचारीवृंद) विनियम 1971, विनियम 58 (1) और (7) में निम्नानुसार संशोधन किए गए हैं:-

(1) विनियम 54 के क्लॉज (v) और (ix) में विनिर्दिष्ट किसी भी पेनल्टी को अधिरोपित करने का आदेश नहीं दिया जाएगा सिवाय इसके चाहे **व्यक्तिगत सुनवाई अथवा विडियो कांफ्रेंसिंग^ के माध्यम से** की गई इंक्वायरीज के बाद इस विनियम अथवा विनियम 59 में दिए गए तरीके से यथासंभव हो तथा पब्लिक सर्वेंट (इंक्वायरीज), अधिनियम, 1850 (1850 का 37वां) में दिए गए तरीके से, जहां ऐसी इंक्वायरीज उस अधिनियम के तहत हुई हो।

(7) कर्मचारी ऐसे दिन और ऐसे समय में जाचं प्राधिकारी के समक्ष व्यक्तिगत रूप से या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग^ के माध्यम से उपस्थित हो सकता है और इस तरह के चार्ज की तारीख से दस दिनों के भीतर उसे आर्टिकल्स ऑफ चार्ज और कदाचार अथवा दुर्व्यवहार के आरोपों के बयान के रूप में जांच प्राधिकारी के रूप में इस नोटिस में या इस तरह के आगे के समय के भीतर लिखित नोटिस द्वारा दस दिनों से अधिक नहीं हो, जैसा कि पूछताछ प्राधिकारी अनुमति दे सकता है।

^ इस संशोधन का, दिनांक 15.09.2017 के का.ज्ञा. 142/40/2015-एवीडी-I के माध्यम से जारी डीओपीटी के दिशा-निर्देशों के अनुसार विडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से पहले ही की गई / की जा रही किसी भी विभागीय कार्यवाहियों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

सीमा कक्कड़, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./406/2020]

टिप्पणी : मुख्य विनियम भारत के राजपत्र में दिनांक 08.05.1971 की अधिसूचना के माध्यम से प्रकाशित किए गए थे तथा तदनुरूप अंतिम बार निम्न के माध्यम से संशोधित किये गए ।

क्र .सं.	शीर्षक	दिनांक
1.	भा॰ खा॰ नि॰, (कर्मचारीवृन्द) (पहला संशोधन)विनियम, 2020	23.06.2020
2.	भा॰ खा॰ नि॰, (कर्मचारीवृन्द) (दूसरा संशोधन)विनियम, 2020	30.07.2020
3.	भा॰ खा॰ नि॰, (कर्मचारीवृन्द) (तीसरा संशोधन)विनियम, 2020	30.07.2020
4.	भा॰ खा॰ नि॰, (कर्मचारीवृन्द) (चौथा संशोधन)विनियम, 2020	30.07.2020

FOOD CORPORATION OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th December, 2020

No. 128

No. EP.36(1)/2020.—In exercise of the powers conferred by Section 45 of Food Corporations Act, 1964 (37 of 1964) and with the previous sanction of the Central Government, the Food Corporation of India hereby makes the following Regulations further to amend the Food Corporation of India (Staff) Regulations, 1971 namely:-

1. Short Title and Commencement:

(i) These Regulations shall be called the Food Corporation of India (Staff) (Fifth Amendment) Regulations, 2020.

(ii) These shall come into force from the date of Notification in the Official Gazette.

2. Definitions: The definition and meaning of the words and designation of posts in this Regulations shall have the same meaning as contained in the Food Corporations Act, 1964 and the Food Corporation of India (Staff) Regulations, 1971.

3. In FCI (Staff) Regulations, 1971, Regulation 58 (1) and (7) may be amended as under:

(1) No order imposing any of the penalties specified in clauses (v) to (ix) of Regulation 54 shall be made except after an inquiry held **whether through personal hearing or through Video Conferencing^** as far as may be, in the manner provided in this regulation and Regulation 59, or in the matter provided by the Public Servants (Inquiries) Act, 1850 (37 of 1850), where such inquiry is held under that Act.

(7) The employee shall appear in person **or through Video Conferencing^** before the inquiring authority on such day and at such time within ten working days from the date of receipt by him of the articles of charge and the statement of the imputations of mis-conduct or misbehavior, as the inquiring authority may,

by a notice in writing, specify in this behalf, or within such further time, not exceeding ten days, as the inquiring authority may allow.

^The amendment will not have any adverse effect on any departmental Proceedings already conducted / being conducted through Video Conferencing in terms of DOPT Guidelines issued vide O.M. 142/40/2015-AVD-I dated 15.09.2017.

SEEMA KAKAR, Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./406/2020]

Note : The Principal Regulations were published in the Gazette of India vide Notification dated 8.5.1971 and subsequently have been amended being lastly vide:-

SL. No	Title	Dated
1	FCI(Staff) (1st Amendment) Regulations, 2020	23.06.2020
2	FCI(Staff) (2nd Amendment) Regulations, 2020	30.07.2020
3	FCI(Staff) (3rd Amendment) Regulations, 2020	30.07.2020
4	FCI(Staff) (4th Amendment) Regulations, 2020	30.07.2020

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.